प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, रामपुर,
जनपद-रामपुर।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 04 दिसंबर, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, रामपुर के पत्र संख्या-2049/2049/बजट-2023 दिनांक 18.10.2023 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **'नगरीय सड़क सुधार योजना'** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में नगर पालिका परिषद, रामपुर, जनपद-रामपुर के शहजादपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 24-पर वेस्ट-टू-इनर्जी प्लांट स्थल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य हेतु रू0 279.67 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए शासनादेश संख्या-208/2016/1488/नौ-5-2016-53सा/2016,दिनांक 13-07-2016 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0 139.83 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी, का व्यय हो जाने के दृष्टिगत द्वितीय किश्त के रूप में **रू0 100.00 लाख (रुपये एक करोड़ मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वींकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
3. योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-2087/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07 जून, 2013 तथा शासनादेश संख्या-3747/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
4. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य, प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
5. कार्य की विशिष्टियां,मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
7. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही,उसका व्यंय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
8. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
9. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था,कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

10. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार,उत्तर प्रदेश प्रयागराज को दिनांक 31-03-2023 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।
11. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी,जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो,तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।
12. इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2217808000900 मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन हेतु व्यवस्था **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
07.12.2023

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-209/2023/6921(1)/**नौ-5-2023**/001-Computer No-1752912, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
3- मण्डलायुक्त, मुरादाबाद ।
4- जिलाधिकारी, रामपुर ।
5- कोषाधिकारी,कलेक्ट्रेट कोषागार, रामपुर ।
6- निदेशक,नगरीय निकाय,उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7- निदेशक,स्थानीय निधि लेखा परीक्षा,उ0प्र0 प्रयागराज/लखनऊ ।
8- अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, रामपुर, जनपद-रामपुर ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/2।
10- निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11-अनुभाग अधिकारी, नगर विकास अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।
12-गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।।

आज्ञा से,
07.12.2023

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-04/12/2023

प्रेषण संख्या:- 209
आवंटन आदेश संख्या:- 001-209-2023-6921-9-5-2023-001-CN-1752912
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
800 - अन्य व्यय
09 - मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	रामपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 10000000	10000000 10000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	10000000 10000000	10000000 10000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव